



मानव संसाधन विकास एवं विभाग
झारखण्ड सरकार, राँची

क्रम संख्या

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2013 - 2014

(कार्यालय प्रति)

(सिर्फ वर्ष 2013 में सप्तम् वर्ग में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए)

आवेदन-पत्र

(सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए)

जिला का नाम	जिला का कोड	फोटो प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिप्रमाणित फोटो
प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड का कोड	
रौल नं.		
जिला कोड	प्रखण्ड कोड	क्रमांक

(आवेदक स्वयं या अभिभावक स्वच्छ अक्षरों में भरेंगे)

- आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- पिता का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- जन्म तिथि (अंकों में) (अक्षरों में)
- 01-07-2013 की आयु
- लिंग
- कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उपजाति
- पता:- (क) हिन्दी में
पिन कोड
- (ख) अंग्रेजी में
पिन कोड
- विद्यालय का नाम जहाँ से आवेदक वर्ष 2012 में छठवाँ वर्ग उत्तीर्ण किया है :
- विद्यालय का नाम एवं प्रकार जहाँ छात्र/छात्रा सप्तम् वर्ग में अध्ययनरत है :
(राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/मान्यता प्राप्त)
- आवेदक का वर्ग छठवाँ में कुल प्राप्तांक : प्राप्तांक का प्रतिशत
- आवेदक का छठवाँ वर्ग में अपने समूह में स्थान (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) :
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर में दिए गए सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं।

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका ने वर्ष 2012-2013 में वर्ग छठवाँ की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है तथा अपने समूह में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये वर्ष 2013-2014 में सप्तम् वर्ग का नियमित छात्र/छात्रा है।

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर



मानव संसाधन विकास एवं विभाग
झारखण्ड सरकार, राँची

क्रम संख्या

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2013 - 2014

(कम्प्यूटर-प्रति)

(सिर्फ वर्ष 2013 में सप्तम् वर्ग में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए)

आवेदन-पत्र

(सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए)

जिला का नाम	जिला का कोड	फोटो प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिप्रमाणित फोटो
प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड का कोड	
रौल नं.		
जिला कोड	प्रखण्ड कोड	क्रमांक

(आवेदक स्वयं या अभिभावक स्वच्छ अक्षरों में भरेंगे)

- आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- पिता का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- जन्म तिथि (अंकों में) (अक्षरों में)
- 01-07-2013 की आयु
- लिंग
- कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उपजाति
- पता:- (क) हिन्दी में
पिन कोड
- (ख) अंग्रेजी में
पिन कोड
- विद्यालय का नाम जहाँ से आवेदक वर्ष 2012 में छठवाँ वर्ग उत्तीर्ण किया है :
- विद्यालय का नाम एवं प्रकार जहाँ छात्र/छात्रा सप्तम् वर्ग में अध्ययनरत है :
(राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/मान्यता प्राप्त)
- आवेदक का वर्ग छठवाँ में कुल प्राप्तांक : प्राप्तांक का प्रतिशत
- आवेदक का छठवाँ वर्ग में अपने समूह में स्थान (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) :
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर में दिए गए सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं।

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका ने वर्ष 2012-2013 में वर्ग छठवाँ की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है तथा अपने समूह में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये वर्ष 2013-2014 में सप्तम् वर्ग का नियमित छात्र/छात्रा है।

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर

राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा 2013 - 2014

(सिर्फ वर्ष 2013 में सप्तम् वर्ग में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए)

आवेदन-पत्र सह विवरणिका

1. **jkT; e/kk Nk=ofr ijhfkk ;ktuk 2013&2014 e >kj[k.M jkT; d ol Nk=@Nk=k lfeefyr gk ldx tk %&**
(क) सरकारी / अर्द्धसरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से वर्ष 2012–2013 में षष्ठम वर्ग में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों और वे वर्ष 2013 में सप्तम् वर्ग में नामांकित हों।

(ख) छात्र/छात्रा के उम्र की गणना दिनांक 1 जुलाई 2013 को निम्न प्रकार की जाएगी –

- (1) सामान्य – अधिकतम् उम्र 13 वर्ष
- (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बालिका – अधिकतम् उम्र 14 वर्ष

(छात्र–छात्रा यह सुनिश्चित हो लेंगे कि 13 वर्ष एवम् 14 वर्ष का उम्र सीमा अधिकतम रखी गई है परन्तु न्युनतम् की गणना झारखण्ड अधिविध परिषद् द्वारा आयोजित दशम् वर्ग की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रखी गई उम्र सीमा के अनुरूप होगा।)

2. **ijhfkk 'kYd %&**

राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें आवेदन प्राप्त करने, भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने एवं परीक्षा देने हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

3. **vkonu i= ikfir LFky %&**

राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा का आवेदन–पत्र अध्ययनरत विधालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. **vkonu i= dk Hkjuk %&**

राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा का आवेदन–पत्र, आवेदक दोनो प्रति (कार्यालय प्रति एवं कम्प्युटर प्रति) भरेंगे। आवेदन–पत्र में अंकित सभी सूचनाएँ स्वच्छ अक्षरों में निर्देशानुसार भरेंगे।

5. **ijhfkk dk fo"i; %&**

राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा में निम्न विषयों की परीक्षा ली जाएगी तथा प्रश्न–पत्र का स्तर छठवाँ वर्ग का होगा।

- (क) हिन्दी – 40 अंक,
- (ख) अंग्रेजी – 20 अंक,
- (ग) गणित – 40 अंक,
- (घ) प्राकृतिक विज्ञान – 40 अंक,
- (ङ.) सामाजिक विज्ञान – 40 अंक
- (च) बौद्धिक योग्यता – 20 अंक,
- कुल – 200 अंक। सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे।

6. **mÙkj&i=d ij mÙkj nu dh fof/k %&**

राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी को एक उत्तर–पत्रक, परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व दिया जाएगा। उत्तर–पत्रक में सर्वप्रथम जिला का नाम, जिला कोड, प्रखण्ड का नाम, प्रखण्ड कोड, रौल नम्बर, एवं परीक्षा की तिथि बॉल पेन से भरेंगे। उक्त सूचना भरने के पश्चात् निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी हस्ताक्षर करेंगे। प्रश्न–पत्र बुकलेट परीक्षा प्रारम्भ होने के 5 मिनट पूर्व दी जाएगी। परीक्षार्थी, प्रश्नों का जवाब उत्तर–पत्रक में दिए गए विकल्प गोला को बाल पेन से काला (●) कर देंगे। परीक्षार्थी गोला को काला करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि दिए गए जवाब सही है। तत्पश्चात् विकल्प गोला ①②③④ को काला करने का कार्य करेंगे। विकल्प गोला निम्न प्रकार से काला करेंगे – ● ②③④ जैसे किसी प्रश्न का उत्तर यदि①है तो विकल्प गोला①को चित्र के अनुसार रंगेंगे।

7. **p;u ifØ;k %&**

राष्ट्रीय मेधा छात्रवृति परीक्षा योजना के अन्तर्गत क्रमांक 5 में अंकित विषयों की परीक्षा ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे। मेधा क्रम से परीक्षार्थियों में से ही प्रत्येक प्रखण्ड से (10) दस (सामान्य – 04, अनुसूचित जाति – 02, अनुसूचित जनजाति – 02 तथा बालिका – 02) छात्र–छात्रा का चयन अंतिम रूप से किया जाएगा।

8. **Nk=ofr dh jkf'k %&**

राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा योजना अन्तर्गत चयनित प्रत्येक परीक्षार्थियों का वर्ग अष्टम् से दशम् वर्ग प्रतिमाह 200/(दो सौ) रुपये (वर्ष में 10 माह) दिया जाएगा । छात्र/छात्रा, अगर बीच में विद्यालय छोड़ता है या कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वैसी स्थिति मे छात्रवृति की राशि देय नहीं होगी।

9. **Nk=ofr gr lhVh dh lI;k %&**

राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में 10 (दस) सीट निर्धारित है।

सचिव
झारखण्ड अधिविध परिषद्
सह नोडल पदाधिकारी
राज्य मेधा छात्रावृति परीक्षा योजना
झारखण्ड